J.V. JAIN COLLEGE, SAHARANPUR

(NAAC Accredited, College With Potential for Excellence)

Estd. 1955 *Ph. No. - 09456004915*

पत्रांक :– का0अ0 / आदेश / 245 / 2023–24 दिनांक :– 23.05.2023

व्हाट्स–एप / ई–मेल एवं हस्तगत / स्पीड–पोस्ट द्वारा

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में दिनांक 10.05.2023 को एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर के छात्रों द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा ड़ालने, जानलेवा हमला करने, भय का वातावरण उत्पन्न करने, सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने और तोड़–फोड़ करने के कुकृत्य किये गये, जिसकी तहरीर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.05.2023 को थाना सदर बाजार, सहारनपुर को दिनांक 10.05.2023 को प्रेषित की गई। तदोपरान्त् महाविद्यालय के पत्रांक का0अ0 / 168 / 2023–24 दिनांक 13.05.2023 द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के ज्ञापन दिनांक 12.05.2023 का संज्ञान लेते हुए जांच समिति का गठन किया गया तथा जांच समिति को निर्देशित किया गया कि वे सभी पक्षों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप अवसर प्रदान करते हुए सम्यक् जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी के उक्त पत्र दिनांक 13.05.2023 के अनुपालन में जांच समिति द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 22.05.2023 को प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि परीक्षा हॉल में श्री सिद्धान्त गौतम एवं श्री शाह आलम के बीच मारपीट हुई, जिसमें सागर कुमार एवं आशीष कुमार भी उक्त बहसबाजी में शामिल हुए तथा मौ0 सद्दाम द्वारा लोहे की कुर्सी छात्रों को मारने के कृत्य तहरीर के अनुरूप कारित किये गये। तदोपरान्त् अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक का0अ0 / 243 / 2023–24 दिनांक 23.05.2023 ने अपने पत्र द्वारा श्री राजीव गुप्ता, जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराधिक), सहारनपुर से विधिक राय चाही गई, जिसमें उन्होंनें दिनांक 23.05.2023 को कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण की पूर्ण सी0सी0टी0वी0 फुटेज, तहरीर एवं जांच आख्या (समस्त पक्षकारों एवं गवाहों के लिखित कथन सहित) सहित समस्त पत्राजातों का परिशीलन करते हुए अपनी विधिक राय प्रस्तुत की तथा एलएल0बी0 के छात्रों को विभिन्न प्रकार के अपराधिक कृत्य करने का दोषी पाया।

उक्त घटना दिनांक 10.05.2023 की सी0सी0टी0वी0 फुटेज, तहरीर दिनांक 10.05.2023, जांच आख्या दिनांक 22.05.2023 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराधिक) की विधिक राय दिनांक 23.05.2023 का सम्यक् परिशीलन करते हुए पूर्ण विचारोपरान्त् एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर के उक्त छात्रों को निम्नलिखित प्रकार से दण्डित किया जाता है –

1. एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर के छात्र मौ0 सद्दाम द्वारा छात्रों पर हमला करके चोट पहुँचाने, भय का वातावरण उत्पन्न करने, सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, तोड़–फोड़ करने और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने जैसे अपराधिक कृत्य किये जाना सिद्ध होने के दृष्टिगत मौ0 सद्दाम (प्रवेश सं0 10) का महाविद्यालय में एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर से प्रवेश तत्काल निरस्त करते हुए उसको निष्कासित किया जाता है तथा उसका नाम काली सूची में अंकित किया जाता है।

2. एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर के छात्र सिद्धान्त गौतम एवं शाह आलम के बीच हाथापाई होना सिद्ध होता है। तदानुसार उनके द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा ड़ालने एवं भय का वातावरण उत्पन्न करने के अपराधिक कृत्य सिद्ध होने के दृष्टिगत सिद्धान्त गौतम (प्रवेश सं0 82) एवं शाह आलम (प्रवेश सं0 13) का महाविद्यालय में एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर से प्रवेश तत्काल निरस्त करते हुए उनको निष्कासित किया जाता है।

3. छात्र सागर कुमार का उक्त छात्रों शाह आलम एवं सिद्धान्त गौतम के बीच हुई मारपीट में साथ देने का कृत्य सिद्ध होने के दृष्टिगत सागर कुमार (प्रवेश सं0 93) को तत्काल प्रभाव से छः सप्ताह के लिए महाविद्यालय से निलम्बित किया जाता है। उक्त अवधि में सागर कुमार का प्रवेश महाविद्यालय परिधि में प्रतिबन्धित रहेगा। यदि सागर कुमार उक्त प्रतिबन्ध के विरूद्ध महाविद्यालय में उपस्थित होते है तो उनका प्रवेश एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर से तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

23/5/23

PRINCIPAL
J.V. JAIN COLLEGE
SAHARANPUR

क्रमशः......2

4. छात्र आशीष कुमार भी हस्तक्षेप करते स्पष्ट हो रहे है परन्तु उनके द्वारा किसी अनुचित कृत्य की पुष्टि नहीं होती है परन्तु उक्त हस्तक्षेप के दृष्टिगत आशीष कुमार (प्रवेश सं0 16) को तत्काल प्रभाव से दो सप्ताह के लिए महाविद्यालय से निलम्बित किया जाता है। उक्त अवधि में आशीष कुमार का प्रवेश महाविद्यालय परिधि में प्रतिबन्धित रहेगा। यदि आशीष कुमार उक्त प्रतिबन्ध के विरूद्ध महाविद्यालय में उपस्थित होते है तो उनका प्रवेश एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर से तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

23/5/23
(प्रो0 वकुल बंसल)
प्राचार्य
PRINCIPAL
J.V. JAIN COLLEGE
SAHARANPUR

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित :–

1. मौ0 सद्दाम, (एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर प्रवेश सं0 10), पुत्र मौ0 तययाब, निवासी – ग्राम भूरा तहसील कैराना, जिला शामली (मो0 नं0 – 8533890645)
2. सिद्धान्त गौतम, (एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर प्रवेश सं0 82), पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी – ग्राम मवी खुर्द, मल्हीपुर, सहारनुपर (मो0 नं0 –9410429177)
3. शाह आलम, (एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर प्रवेश सं0 13), पुत्र श्री नसीम अहमद, निवासी – ग्राम जामापुर बेरी, सहारनपुर (मो0 नं0 – 8057375156)
4. सागर कुमार, (एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर प्रवेश सं0 93), पुत्र श्री नाथी राम, निवासी – ग्राम देवला, पोस्ट नागराज पुर, बेहट रोड, सहारनपुर (मो0 नं0 – 9639106764)
5. आशीष कुमार, (एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर प्रवेश सं0 16), पुत्र श्री तुलसी दास, निवासी – मकान सं0 462, न्यू आवास विकास, निकट हरि मन्दिर, सहारनपुर (मो0 नं0 – 7417389189)।
6. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मौ0 सद्दाम को काली सूची में सम्मिलित करने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण न कराये ताकि सम्बन्धित महाविद्यालय की गरिमा दूषित न हो सके। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त मौ0 सद्दाम, सिद्धान्त गौतम एवं शाह आलम के प्रवेश विश्वविद्यालय पोर्टल से भी निरस्त करने का कष्ट करें।
7. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
9. प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार, सहारनपुर को डी0जी0सी0 (अपराधिक) की विधिक राय की प्रति संलग्न करते हुए तहरीर दिनांक 10.05.2023 के अनुरूप एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु।
10. प्रो0 अशोक कुमार शर्मा, अध्यक्ष, विधि संकाय, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
11. प्रो0 संदीप गुप्ता, चीफ प्रोक्टर, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
12. प्रो0 मनु गुप्ता, परीक्षा प्रभारी, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
13. डॉ0 हरवीर सिंह चौधरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
14. महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के ऑफिशियल व्हाट्स–एप ग्रुप पर।
15. डॉ0 प्रदीप कुमार जैन, का0 कार्यालय अधीक्षक को समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
16. श्री सौरभ जैन, फीस इंचार्ज, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर – को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे महाविद्यालय साफ्टवेयर से उक्त छात्रों मौ0 सद्दाम, सिद्धान्त गौतम एवं शाह आलम के एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर से प्रवेश तत्काल निरस्त करना सुनिश्चित करें।
17. मिस प्राची जैन, स्टैनो, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर – महाविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं एस0एम0एस0 करने हेतु।